उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
संख्या–25/04/ई–2/2026–27
प्रयागराज, दिनांकः 26 नवम्बर, 2026

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या ए–1/ई–1/2026 दिनांक 25–06–2026 के अन्तर्गत विज्ञापित **सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) (प्रा0) परीक्षा–2026, दिनांक 06 दिसम्बर, 2026 (रविवार) को दो सत्रों में (पूर्वान्ह 09.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा अपरान्ह 02.30 बजे से 04.30 बजे तक) प्रदेश के सभी 75 जनपदों** में आयोजित की जानी है।

02– प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्रों के जनपद की सूचना आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर दिनांक– 27.11.2026 से उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के माध्यम से लॉगिन करके प्रश्नगत परीक्षा की DISTRICT INFORMATION SLIP को डाउनलोड कर अपने परीक्षा केन्द्र का जनपद चेक कर लें, यह सूचना परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र नहीं है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये यह उस जनपद के आवंटन के लिए एक अग्रिम सूचना है जहां परीक्षा केन्द्र अवस्थित है।

03– प्रश्नगत परीक्षा का प्रवेश–पत्र (एडमिट कार्ड) परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि के **05 दिवस पूर्व दिनांक–01.12.2026 से आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर** उपलब्ध रहेगा।

04– अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश–पत्र में अंकित जनपद के परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। कक्ष में अन्तरीक्षक को आई0डी0प्रूफ0 की एक छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। **अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।**

05– उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि ''परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।''

(हर्ष देव पाण्डेय)
परीक्षा नियंत्रक।